दां.प्र.क. 769/22 शा. वि० सुनिल कुमार

Witness No.....05.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the.....12–03–2025.....day of.....Witness's apparent age.....32.....

States of affirmation.....शपथपूर्वक कथन.....my name is.....संतोष साहू.....

Son of.....श्री उदित राम साहू.....occupation.....किसानी.....

address.....साकिन छिनमुड़ा, थाना नगरदा, जिला सक्ती (छ.ग.)

समय 12:20 बजे

राज्य द्वारा श्री अरविंद जायसवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ।

01– मै आरोपी सुनील को पड़ोसी गांव का होने के कारण जानता हूॅ, मैं मृतक साहू रमेश साहू को मौसेरा भाई होने के कारण जानता हूॅ ।

02– घटना माह मई 2022 की है । घटना दिनांक को मैं अपने घर में था उसी दौरान मुझे जानकारी मिली कि मृतक का एक्सीडेंट शनि मंदिर के पास हो गया है तब मैं सूचना पाकर मौके पर आया और देखा कि मृतक को घायल अवस्था में वाहन में रख रहे थे, मौके पर ही अरुण भी था जिससे मैने पूछताछ किया कि उन्होने बताया कि मेरे द्वारा आरोपी सुनील को धीरे गाड़ी चलाने के लिए बार –बार बोला गया था परन्तु आरोपी सुनील मेरी बात नहीं माना और ऐन्ड बेन्ड (लहराकर) तेज गति से गाड़ी चला रहा था । उक्त गाड़ी खंभे से टकराई थी ।

03– आज मुझे याद नहीं है कि उक्त कार कौन से रंग की थी एवं उसका नंबर क्या है । उक्त घटना में मृतक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को चोट नही आयी थी ।

04– पुलिस वाले मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं किये थे । साक्षी को धारा 175 का नोटिस प्रपी–02 एवं नक्शा पंचायतनामा प्रपी–03 दिखाये जाने पर उसके द से द भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

//प्रतिपरीक्षण वास्ते अभियुक्त द्वारा श्री मनोज अग्रवाल अधिवक्ता उप.//

05– यह कहना सही है कि मैने घटना होते हुए नहीं देखा है । यह कहना सही है कि मैने घटना के बारे में उपर जो बताया है वह सुनी सुनाई बाते हैं । यह कहना सही है कि सुनील साहू वाहन चला रहा था उसे भी सुनी सुनाई बात बताया हूॅ । मैं घटना स्थल पर 10 मिनट बाद पहुचा था तब मृतक रमेश को 112 वाहन में हास्पिटल ले जा रहे थे जहा पर भीड़ थी । यह कहना सही है कि जब मैं पहुचा तब आरोपी सुनील वहा पर नहीं था । मैने जो अरुण के कहे अनुसार बाताया है, अरुण को कोई चोट नही आयी थी । मैं अरुण को चोट के संबंध में कोई पूछताछ नहीं किया था ।

06– मैने घटना स्थल पर कार को गिरे हुए हालत में देखा था । मुझे जानकारी नहीं है कि मृतक रमेश गाड़ी चलाना जानता था या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मृतक घटना के समय गाड़ी चलाना सीख रहा था और लायसेंस बनाने हेतु जांजगीर में आवेदन भी दिया हुआ था । यह कहना सही है कि मैने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाने की बात बतायी है वह सुनी सुनाई बात है ।

समय 12:40 बजे तक ।

वाचित सहित स्वीकृत।
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित
सही/–
सुश्री शुभदा गोयल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सक्ती,
जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

सही/–
गवाह का हस्ताक्षर